



छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022 (फाल्गुन 23, 1943)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 17 तथा 18 मई, 2013 की दरमियानी रात को जिला बीजापुर के थाना जगरगुण्डा के ग्राम एडसमेटा मुठभेड़ की घटना के मामले में न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पटल पर रखेंगे।
- (3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार –
 - (i) अधिसूचना क्रमांक 91 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2021, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2021,
 - (ii) अधिसूचना क्रमांक 90 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2021, दिनांक 2 नवम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021,
 - (iii) अधिसूचना क्रमांक 92 / सीएसईआरसी / 2021, दिनांक 14 नवम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 तथा
 - (iv) अधिसूचना क्रमांक 93 / सीएसआईआरसी / 2021, दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरेक्टिव विकेन्ड्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्ट्रोत) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 पटल पर रखेंगे।
- (4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021 पटल पर रखेंगे।

- (5) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42 / 2012 / 12, दिनांक 22 जनवरी, 2021 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्री अरुण वोरा, सदस्य, प्रदेश में कोरोना से मृतकों के परिवारों को मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में मंडी टैक्स में वृद्धि किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (3) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र (ईमामी) द्वारा माईन्स का विस्तार किये जाने से जनजीवन प्रभावित होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (4) श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सदस्य, बेमेतरा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ की सहकारी सोसाइटी कुंवरा में धान खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. वित्तीय वर्ष 2022–2023 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय	श्री ताप्रध्वज साहू गृह मंत्री के विभागों से संबंधित—
2 घंटे (1)	मांग संख्या 24 लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल
	मांग संख्या 67 लोक निर्माण कार्य – भवन
	मांग संख्या 76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
	मांग संख्या 3 पुलिस
	मांग संख्या 4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
	मांग संख्या 5 जेल
	मांग संख्या 51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व
	मांग संख्या 37 पर्यटन

2 घंटे (2)	श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री के विभागों से संबंधित—
	मांग संख्या 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
	मांग संख्या 36 परिवहन
	मांग संख्या 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या 10 वन

1 घंटा (3)	श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के विभागों से संबंधित—
	मांग संख्या 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय
	मांग संख्या 34 समाज कल्याण

रायपुर,
दिनांक 13 मार्च, 2022

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा